रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2776] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 1, 1937
No. 2776] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSHA 1, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3497(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

नांगखाइलम आरक्षित वन का गठन बहुतायत वन्यजीव और उपयुक्त आवास गुणता के कारण पूर्व ब्रिटिश सत्ता के दौरान असम सरकार राजपत्र अधिसूचना सं. (क) 4692, दिनांक 23 जुलाई,1909, (ख) 2016 दिनांक 12 मई 1913, (ग) 2017 आर, दिनांक 12 मई, 1913, (घ) 3463 आर, दिनांक 14 जुलाई, 1913, (ड.) 3412

आर, दिनांक 14 नवंबर, 1933 (च) 864 जी.जे. दिनांक 14 फरवरी, 1939 प्रक्रमों में किया गया था, वर्ष 1981 में 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के नांगखाइलम आरक्षित के पूर्वी भाग को वन्यजीव को अभयारण्य में संपरिवर्तित किया गया और आरक्षित वन का शेष भाग गहन संरक्षण और रक्षण उपायों के अधीन था और इस कारण ये वन अपने प्राचीन मूल्य प्रतिधारित किए हुए हैं ।

और, इस क्षेत्र में पहाड़ियों और घाटियों की बहुतायत है जिनमें से कई जलधाराएं बहती हैं जो उमट्रयू, उमतसोर और उमसा नदियों में मिलती हैं जो इस क्षेत्र के चारों और हैं ; इस क्षेत्र की ऊंचाई 200 मीटर से 800 मीटर के बीच है माकींदाह सबसे ऊंचा बिंदु है जिसकी ऊंचाई 965 मीटर है; खड़ी ढाल वाले पहाड़ी ढाल प्रचुर मात्रा में नहीं हैं और उमट्रयू एवं उमतसोर नदियों के किनारे कुछ भागों में ही दिखाई पड़ते हैं ;

और अभयारण्य तथा आरक्षित वन पूर्वी हिमालयी स्थानिक पक्षी क्षेत्र (कॉलर और अन्य आदि) के अंतर्गत वैश्विक जैव-विविधता मुख्य स्थल के रूप में वर्गीकृत (पूर्वोत्तर भारत) क्षेत्र में आते हैं और यह क्षेत्र वनस्पतिजात और प्राणि-जात संपदा से समृद्ध है ।

और, नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य, नांगखाइलम के उत्तरी भाग में एक उष्ण कटिबंधीय मिश्रित सदाबहार वन है यहां की वनस्पति अधिकांशत: आर्द्र पर्णपाती वन है दक्षिणी भाग की ओर पर्णपाती घटक कुछ उप-उष्ण कटिबंधीय और कुछ शीतोष्ण सहित सदाबहार प्रजातियों के अधिक प्रतिशत के साथ धीरे-धीरे कम होते जाते हैं, कुल मिलाकर, सामान्य जंगली वनस्पति बांस वनों और घास वाले ढालों के साथ मिलकर सदृश रूप में दिखाई पड़ते हैं और ऊंचाई के साथ बदलती वनस्पति तीन मंजिला आकार में दिखाई देती है जहां फैले हुए शीर्षों तथा लंबे ठूंठों वाले विशाल वृक्ष शीर्ष छतरी के रूप में दिखाई देते हैं जो अधिपादपों की उप-जातियों के लिए आश्रय-स्थल के रूप में कार्य करते हैं ;

और, साल इस क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजाति है तथा इससे संबद्ध अन्य वृक्ष प्रजातियां हैं मेसुआ फेरी, लेगरस्ट्रोमिया परवीफोरा, चीमा वालिची, एक्रोकॉर्पस फ्रैक्सीनीफोलियस, एल्स्टोनिया स्कॉलरिस, बॉम्बेक्स सीबा, आर्टोकॉर्पस चैपलाशा, बिसकोफिया जावानिका, केस्टोनोपिसिस हिस्ट्रीक्स, सी. इंडिका सी. ट्रिबुलोयडस, सिनामोम्म तमाला, एलियोकॉर्पस फ्लोरिबंडस, लैनिया, कोरोमंडेलिका, गरूगा पिन्नाटा, एंथोसीफेलस कडांबा, टेट्रामेलस नुडीफ्लोरा, तूना सिलियाटा, सिजीजियम एसपीपी, कल्लीकर्पा अरबोरिया, केरेया अरबोरिया, एंबलिका ऑफिसिनालिस, मेलिना अरबोरिया, जिनोकार्डिया ओडोराटा, मलोटस फिलीपेनिस, सेपियम एसपीपी, एलिपिनिया मलाकसेन्सिस, होल्लारहेना एंटीडीसेंट्रिका, अमोमम एसपीपी, कोलोकेसिया इस्कुलेंटा, कोस्टस स्पेशियोसस, ग्लोब्बा मल्टीफ्लोरा, ओक्सेलिस कोर्नीकुलाटा, फ्रेगमाइट्स कर्का, जिंजिबर जेरूबेट, जेड केपीटाटम, जेड कासुनुनेन, साइप्रस एसपीपी इत्यादि; अब्रोमा अगस्ता, एलोफिलस कोब्बे, एंटीडेसमा एक्यूमिनाटम, एपोरोसा बॉक्सबुरघी, बोकमेरिया प्लेटिफिवला, केजेरिया वेरेका, क्लीरोडेंट्रम ब्रेक्टीटम, क्रोटोन काउडाटस, यूर्या एक्यूमिनाटा, ग्लॉयकोसमिस मौरीटियाना, होल्मस्कोडिया सेंगुनिया, इटया मेक्रोफिवला, इक्ज़ोरा एक्यूमिनाटा, लिया एस्पेरा वर्थी, माओतिया पुया, मुसेण्डा मेक्रीफिवला, एम. रेक्सबुरघिल पवेटा इंडिका इत्यादि सामान्य विशाल वन बहुल झाड़ियां हैं ; एचीरेंथिस एस्पेरा, अमरान्थस स्पिनॉसस, सेलोसिया अर्जेंटिका, क्याथुला प्रोसट्राटा, एकीनोक्लिोवा हिरता, कॉम्फोस्टेम्मा पर्वीफ्लोरम, आर्थोसिफेन इन्करवस, फिलन्थरा डेबीलिस, होट्टीनिया कोरडाटा इत्यादि सामान्य औषधीय वनस्पतियां हैं ; अरून्डीनीरिया बेंगालेन्सिस, ए. नेपलैंसिस, सेंटेहक्का लेपेसिया, डिजीटारिया सेन्डेंस, एचीनेक्लिया क्रसपावेनिस, इचान्थस विसिनस, लेप्थाथेरम ग्रेसाइल, ऑप्लिस्मेनस कम्पोसिटस, पेनीकम

ब्रेवीफीलीयम, पी. पलुडेसम, पी. फ्लेवीडन और लियानस यूथचारी घास और बुटी पर्वीफ्लोरा, डेरिस एलिप्टका, एन्टाडा पुरसियाथा, मिलेटिया सिनेरिया, एम. पेचीकरपा लताएं हैं ; और मुकुना मेक्रोकार्पा, एस्पीडेपटेरिस एलेप्टिका, ब्टनीरिया ग्रेडफोलिया, काम्ब्रेटम पंचटेटम, डलहडूसिया ब्रेकटीटा, आयोडस हेयोकेरीयाना, नटसियाटम हरपीटीकम और रोयडसिया सुआवेगेलेंस सामान्य झाड़ीदार वल्लरियां हैं और अनकेरिया पिलोसा और यू. सेसलीफ्रक्टस सघन वन में विशाल झाड़ियों पर फैलने वाली दो कमज़ोर लताएं हैं ;

और, इस क्षेत्र में स्तनधारियों की 50 से अधिक प्रजातियों तथा सरीसृपों की 25 प्रजातियों को आश्रय मिलता है, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूची-I में सूचीबद्ध स्तनधारियों की 140 प्रजातियों में से लगभग 30 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, क्लाउडेड लियोपार्ड, तेंदुआ, हुलॉक गिब्बन, हाथी, गौर, बिंटुरांग और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल विशिष्ट प्रजातियां हैं ; इस क्षेत्र में और इसके आस-पास कई जलाशयों और नदियां, हिल महसीर, चॉकलेट महसीर जैसी संकटापन्न मत्स्य प्रजातियों और खासी हिल्स वाटर टारटॉइज और वाटर मॉनीटर लिजार्ड जैसे सरीसृप जो अब बहुत दुलर्भ हो गए हैं, हेतु अच्छे प्रजनन स्थल हैं ;

200 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में 400 से अधिक पक्षी प्रजातियों सहित नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य तथा नांगखाइलम आरक्षित वन और उमियम जलाशय सहित उसके निकटवर्ती क्षेत्र संरक्षण और जैव-विविधता की दृष्टि से नि:संदेह महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और पर्यावास की कमी तथा अवैध शिकार के कारण रूफाउस नेक्ड हॉर्नबिल जैसी संकटापन्न प्रजातियां अत्यधिक दुर्लभ हो गई है ;

और, मेघालय में कुछ प्रजातियां पहली बार अभिलेखित की गई हैं ये प्रजातियां हैं - ग्रेट क्रस्टेड ग्रेब, ब्लैक नेक्ड ग्रेब, रेड नेक्ड ग्रेब, इंडियन शाग, छोटा हरा बगुला, टाइगर ऑफ मलय बिटर्न, ग्रेटर एंडजुटेंट स्टॉर्क और ब्लैक हेडेड गल ;

और, सर्वेक्षण एवं अभी हाल ही में गुजरे समय में डार्टर, डार्डेन्स या ब्लिथ्स बाजा, पेंटेड स्टॉर्क, लेस्सर या हिमालयन ग्रे-हेडेड फिश ईगल, ब्लैक अथवा किंग वल्चर, लांग-बिल्ड वल्चर, सफेद गर्दन वाला गिद्ध, सफेद टांग वाला फाल्कोनेट, सफेद गालों वाला पहाड़ी तीतर, वुड स्नाइप, टॉनी फिश आउल, ब्लिथ्स किंगफिशर, रफस नेक्ड हॉर्नबिल, स्पैंग्लेड ड्रांगो, चित्तीदार पंखों वाला स्टेयर और ग्रे-सिबिया जैसी संकटग्रस्त और संकट की आशंका वाली प्रजातियों को भी अभिलेखित किया गया है ;

और, नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय राज्य के नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 335.07 मीटर से 8.43 किलोमीटर के क्षेत्र तक नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 335.07 मीटर से 8.43 किलोमीटर तक भिन्न-भिन्न है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्र 202.87 वर्ग किलोमीटर है |

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है |

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध II** पर उपाबद्ध है ।

(4) प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ-साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** पर उपाबद्ध है |

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 24, 29, 31 और 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(iii) वर्षा जल संचय, और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार हैं |

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, मेघालय सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, मेघालय सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय नांगखाइलम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए एवं विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ;

		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 04 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्रावि और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	नए वाणिज्यिक स्थापन जैसे होटल और रिसोर्ट पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगे ।
10.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
13.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत केबलों, परेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
15.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

21.	वायु (ध्वनि सहित) और यानीय प्रदूषण।	
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
24.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	सुरक्षा बलों के कैम्प।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	होटल और विश्राम स्थलों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी तथापि एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
27.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी : परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी | परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा | (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन सन्निर्माण के विस्तार तक एक किलोमीटर परे सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों का विवरण जोनल महायोजना के अनुसार किया जाएगा |

		(ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा ।
28.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया जाता है ।
29.	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए कनात, लकड़ी के घर आदि जैसे पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल कुटीर ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
32.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
35.	वानस्पतिक घेराबन्दी ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	वन संरक्षक (प्रादेशिक और वन्यजीव), मेघालय सरकार	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य वन अधिकारी, खासी हिल्स आटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कोंसिल,	सदस्य
(ग)	राजस्व विभाग, री-भोई जिला नोंगपोह का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	पर्यावरण (जिसके अन्तर्गत विरासत संरक्षण है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का मेघालय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ङ)	परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में मेघालय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य
(च)	संभागीय वन अधिकारी, खासी हिल्स वन्यजीव संभाग, शिलांग	सदस्य-सचिव

6. निर्देश शर्तें -

(क) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(ग) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(घ) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(ड.) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(च) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध-IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(छ) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/24/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक ' जी '

उपाबंध-I

नांगखाइलम वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

पूरब - इसकी सीमा पूर्वोत्तर (25.964690) अक्षांश और 91.857807 देशांतर) (मानचित्र में बिंदु-2) में उमलिंग टेरिटोरियल बीट ऑफिस से शुरू होती है और दक्षिणावर्त जाती है, यह क्षेत्र पूर्व में शिलांग-गुवाहाटी राजमार्ग जो शांग बांगला, पाहामृहोह, नांगपोह और पहामसाइम तक जाता है, से घिरा हुआ है । यह रेड नांगपोह के सामुदायिक वन के साथ-साथ लगभग 19 किलोमीटर अमतासोर सामुदायिक वन (25.811974 अक्षांश और 91.823244 देशांतर पर मानचित्र में बिंदु-3) तक जाता है ।

दक्षिण - यह सीमा बिंदु-3 से लगातार जारी रहकर नांगबीर गांव, नांगस्डर गांव, सोहजीरंग गांव की भूमि और निजी भूमि (मानचित्र में बिंदु-4) 25.820473 अक्षांश और 91.732014 देशांतर पर लगभग 13 किलोमीटर नांगमहिर और मापीरहट के साथ-साथ दक्षिणावर्त जाती है ।

पश्चिम - यह सीमा बिंदु-4 से जारी रहती है और उम्मार, नांगकिनरिह से लैलाड-तास्कू (मानचित्र में बिंदु-1- 25.951830 अक्षांश और 91.758509 देशांतर) तक 15 किलोमीटर (लगभग) की दूरी तक जाती है ।

उत्तर - लैलाडगांव (मानचित्र में बिंदु-1- 25.951830 अक्षांश और 91.758509 देशांतर) से जिला परिषद वृक्षारोपण की सीमा, उमलाडोह गांव तक बनती है । यहां से लैलाड उमलिंग वन मार्ग की सीमा उमलिंग टेरिटोरियल बीट आफिस (बिंदु-2 पर 25.964690 अक्षांश और 91.857807 देशांतर) तक आती है । प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा और भू-उपयोग पैटर्न दर्शाने वाला मानचित्र संलग्न है ।

उपाबंध – II

नांगखाइलम वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रस्तावित इसके अक्षांश और देशान्तर सीमा और विस्तार के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

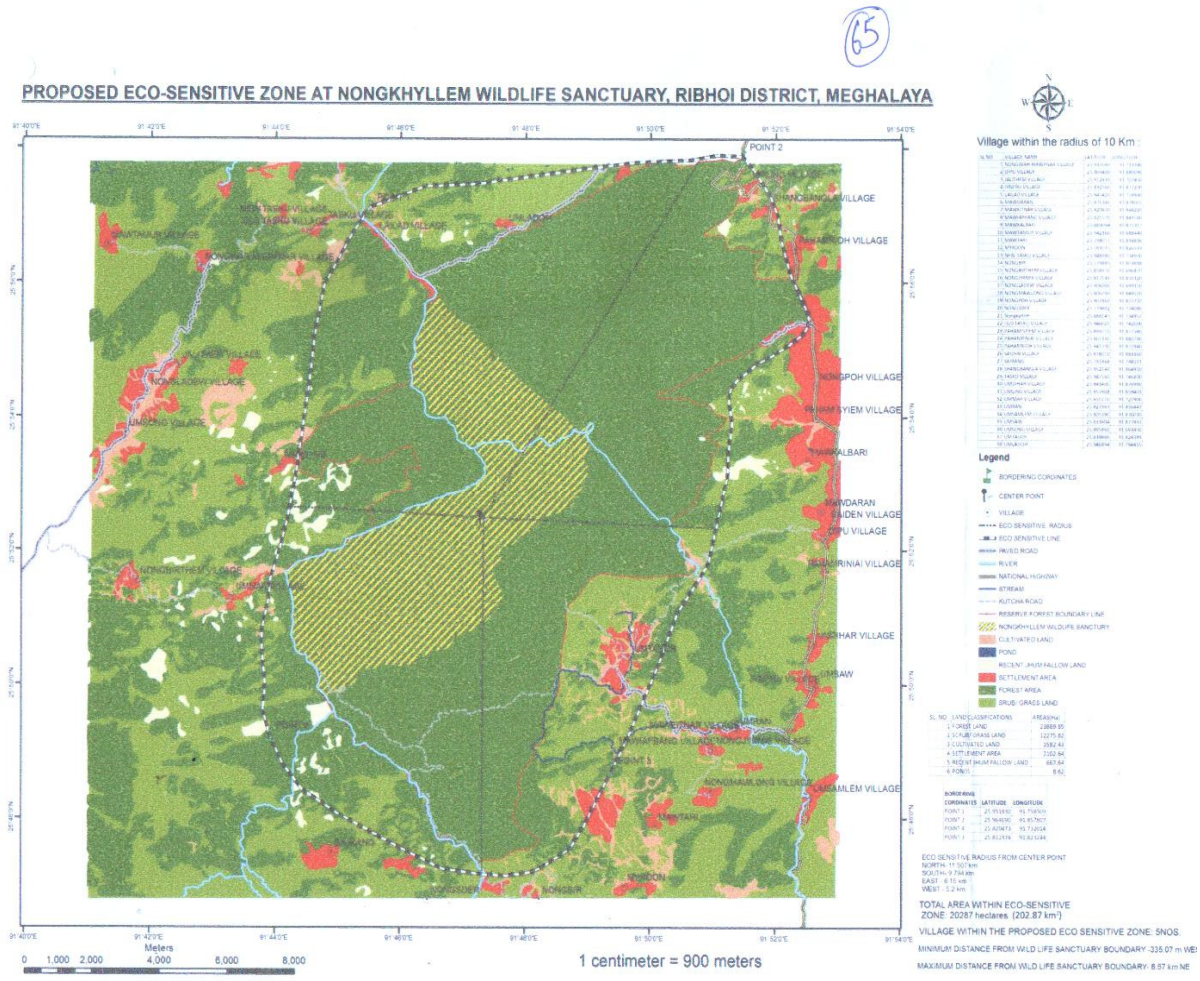

उपाबंध III

नांगखाइलम वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्रम सं.	गांव का नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	नोंगवाह मवपनार गांव	25.937080	91.713340
2.	दीपू गांव	25.869400	91.880090
3.	जलितहेम गांव	25.912830	91.707450
4.	जंतरु गांव	25.832560	91.877200
5.	लेलाड गांव	25.945420	91.759990
6.	मवडरन गांव	25.876346	91.879001

7.	मेवितनार गांव	25.820970	91.848220
8.	मविअपबंग गांव	25.821570	91.849580
9.	मवकलबारी	25.889094	91.875317
10.	मवतामूर गांव	25.942360	91.688440
11.	मवतारी	25.798017	91.834836
12.	मिरडाँन	25.783135	91.826533
13.	न्यू टास्कू गांव	25.948980	91.734900
14.	नोंगबीर	25.779889	91.803888
15.	नांगबिर्थेम गांव	25.858970	91.696470
16.	नौंगियारमिफ गांव	25.817140	91.850120
17.	नोंगलाडिव गांव	25.906000	91.699150
18.	नोगमालोंग गांव	25.806790	91.849510
19.	नोंगपोह गांव	25.907860	91.877710
20.	नोंगसडर	25.779802	91.774080
21.	नोंगिनरिह	25.888145	91.734957
22.	ओल्ड टास्कू गांव	25.946020	91.742600
23.	फहम सियम गांव	25.899710	91.877580
24.	फहमरिनियल गांव	25.861330	91.880790
25.	फहमिरयोह गांव	25.941700	91.871940
26.	सैडेन गांव	25.878010	91.883360
27.	सजरंग	25.791468	91.748511
28.	शंगबंगला गांव	25.952140	91.864910
29.	टास्कू गांव	25.947560	91.746200
30.	उमधिहार गांव	25.843400	91.876990
31.	उमलिंग गांव	25.957908	91.859403
32.	उम्मर गांव	25.855110	91.721900
33.	उमरन	25.821963	91.856443
34.	उमसमलेम गांव	25.805390	91.876030
35.	उमसा	25.833804	91.877933
36.	उमसोंग गांव	25.895860	91.693400
37.	उमतसोर	25.839886	91.828389
38.	उमलादोह	25.946994	91.794455

उपाबंध- IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा - पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । अलग उपाबंध पर बैठकों के कार्यवृत्त संलग्न करें ।
3. पर्यटन मास्टर प्लान सहित जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की स्थिति ।
4. भूमि-अभिलेख (पारि-संवेदी जोन वार) के ऊपर स्पष्ट त्रुटि के संशोधन हेतु निस्तारित मामलों का सारांश । उपाबंध के रूप में विवरण संलग्न किए जाएं ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारंश । उपाबंध के रूप में अलग से विवरण संलग्न किए जाएं ।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों के लिए जांच किए गए मामलों का सारंश । उपाबंध के रूप में अलग से विवरण संलग्न किए जाएं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, (1986 का 29) की धारा 19 के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

[फा. सं. 25/24/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक ' जी '

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2015

S.O. 3497(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Nongkhyllem Reserved Forest was constituted in stages during the regime of the erstwhile British Government vide Government of Assam Gazette Notification Nos.- (a) 4692, dated 23rd July, 1909 (b) 2016, dated the 12th May, 1913 (c) 2017R, dated the 12th May, 1913 (d) 3463R, dated the 14th July, 1913, (e) 3412R, dated the 14th November, 1933 and (f) 864-GJ, dated the 14th February, 1939; due to abundance of wildlife and good habitat qualities, the eastern part of

Nongkhyllem Reserve of 29 square kilometre area was converted to a Wildlife Sanctuary in 1981 and the remaining part of the Reserve Forests was subjected to intensive protection and conservation measures and it is due to this, that these forests have retained their pristine value;

AND WHEREAS, the area comprises fully of hills and valleys, along which, flow numerous streams that join the rivers Umtrew, Umtasor and Umsaw, which surrounds the area; the altitude of the area ranges from 200 meters to 800 meters and the highest point is Mawkyndah with an altitude of 965 meters; steep hill slopes are not common and occur only along certain portions of the banks of Umtrew and Umtasor rivers;

AND WHEREAS, the Sanctuary and the Reserve Forests fall in the (North Eastern India) region classified as a global bio-diversity hot spot under the Eastern Himalayan Endemic Bird Area (Collar et. Al) and this area is rich in Floral and Faunal weath;

AND WHEREAS, the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary is Tropical Mixed Evergreen forests, in the Northern portion of Nongkhyllem, the vegetation is mostly moist deciduous type of Forest, towards the southern portion the deciduous components decrease gradually with more percentage of evergreen species including some sub-tropical and some temperate; as a whole, the general woody vegetation presents a homogenous appearance mixed with bamboo forests and grassy slopes and the vegetation changes with altitude presenting a three-storeyed appearance where large trees with spreading crowns and tall boles forming the top canopy which act as shelter for varieties of epiphytes;

AND WHEREAS, the Sal is the dominant tree species in the area and other tree species which are its associates are Mesua ferea, Lagerstroemia parvifora, Sahima wallichii, Acrocarpus fraxinifolius, Alstonia scholaris, Bombas ceiba, Artocarpus chaplasha, Bischolfia javanica, Castanopsis histrix, C. Indica C. Tribuloides, Cinnamommumm tamala, Elaeocarpus floribundus, Lannea coromandilica, Toona ciliate, Syzygium spp. Callicarpa arborea, Careya arborea, Emblica officinalis, Gmelina arborea, Gynocardia odorata, Mallotus philippensis, Sapium spp, Alpinia malaccensis, Hollarhena antidisentrica, Amomum spp., Colocasia esculenta, Costus speciosus, Globba multiflora, Oxalis corniculata, phragmites karka, Zinggiber zerumbet, Z. Capitatum, Z. Cassununen, Cyperus spp. etc.; the common large woody shrubs are Abroma augusta, Allophyllus cobbe, Antidesma acuminatum, Aporosa boxburghii, Bochmeria platyphvlla, Casearia vareca, Clerodendrum bracteatum, Croton caudatus, Eurya acuminate, Glycosmis mauritiana, Holmskoldia sanguine, Itea macrophvlla, Ixora acuminate, Leea aspera worthii, Maoutia puya Mussaenda macrephalla, M. rexburghii, Pavetta indica etc.; the common herbs are Achyranthes aspera, Amaranthus spinosus, Celossia argentica, Cyathula prostrate, Echinochloa hirta,Comphostemma parviflorum, Orthosiphen incurvus, Phyllanthus debilis, Houttynia cordata etc.; the gregarious grasses are Arundineria bengalensis, A. nepalensis, Centehecca lappacea, Digitaria scendens, Echineclea cruspavenis, Ichnanthus vicinus, Laphatherum gracile, Oplismenus composites, Panicum brevifelium. P. paludesum, P. flavidun and Lianas and climbers are Butea parviflora, Derris eliptica, Entada purseatha, Millettia cinerea, M. pachycarpa; and the common shrubby twiners are Mucuna macrocarpa, Aspidepteris elliptica, Bvttneria grandifolia, Combretum punctatum, Dalhdusea bracteata, iodes haokeriana, Natsiatum herpeticum and Roydsia suaveglens, and Uncaria pilosa and U. sessilifructus are two weak climbers on large shrubs in the dense Forest;

AND WHEREAS, the area harbours over 50 species of mammals and 25 species of reptiles, out of 140 species of mammals listed in Schedule-I to the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), about 30 species are found here, notable species, being the Clouded Leopard, Leopard, Hoolock gibbon, Elephant, Gaur, Binturong and Great Indian Hornbill; many water bodies and streams in and around the area are good breeding sites for endangered species of fish like the Hill Mahseer, Chocolate Mahseer and reptiles such as the Khasi Hills Water Tortoise and the Water monitor lizard, which have become very rare;

AND WHEREAS, with more than 400 species of birds in less than 200 square kilometre area, Nongkhyllem Wildlife Sanctuary and adjacent areas including the Nongkhyllem Reserved Forest and Umiam reservoir and undoubtedly important areas from conservation and boi-diversity point of view and the endangered species such as the Rufous necked hornbill have become extremely rare due to habitat shrinkage and poaching;

AND WHEREAS, some species have been recorded for the first time in Meghalaya, these are Great Crested Grebe, Black necked Grebe, Red necked Grebe, Indian Shag, Little green heron, Tiger of Malay Bittern, Greater adjutant stork and Black headed gull;

AND WHEREAS, threatened and near-threatened species such as the Darter, Darden's or Blyth's Baza, Painted Stork, lesser or Himalayan Grey-headed fish eagle, Black or king Vulture, Long-Billed vulture,

white necked vulture, white legged Falconet, white cheeked Hill Partridge, Wood Snipe, Tawny Fish Owl, Blyth's Kingfisher, Rufous necked Hornbill, Spangled Drongo, Spotted winged Stare and Grey Sibia have also been recorded during the survey and some in the recent past;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 335.07 metres to 8.43 kilometres from the boundary of the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary in the State of Meghalaya as the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1)The extent of Eco-sensitive Zone varies from 335.07metres to 8.43 kilometres from the boundary of the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary and the total area of the Eco- sensitive Zone is about 202.87 square kilometre.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure II**.

(4) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with coordinates of the prominent points is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture; and
(viii) Meghalaya State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, need of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 24, 29, 31 and 36 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Meghalaya in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Meghalaya.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Nongkhyllem Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000, published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into bio-degradable and non-bio-degradable components;

(iii) the bio-degradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited activities:	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Undertaking activities related to tourism like rope ways, over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new or expansion of exiting commercial establishments, such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
10.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated activities:	
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the relevant Central or State Act and the rules made there under.

12.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
13.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads, rail tract.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
21.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
26.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.

27.	Construction activities.	(a) No new construction of any kind shall be allowed within One Kilometer from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be allowed to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed at item 3 (1), the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Further, beyond One Kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. (c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
28.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using hundred per cent imported wood stock.
29.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as, tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
C. Permitted activities:		
30.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
35.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(a) The Conservator of Forests (Territorial and Wild Life), Government of Meghalaya – Chairman;

(b) Chief Forest Officer, Khasi Hills Autonomous District Council - Member;

(c) A representative from the Revenue Department, Ri-Bhoi District Nongpoh -Member;

(d) A representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Meghalaya for a term of one year – Member;

(e) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Meghalaya - Member; and

(f) Divisional Forest Officer, Khasi Hills Wildlife Division, Shillong – Member-Secretary.

(6) Terms of reference.-

(a) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(b) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(c) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(d) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(e) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(f) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per proforma appended at **Annexure IV**.

(g) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/24/2015-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Description of boundary of the Eco-sensitive Zone of Nongkhyllem Wildlife Sanctuary

EAST- The boundary starts from Umling Territorial Beat Office in the north-east 925.964690 latitudes and 91.857807 longigtudes) (point-2 in the map) and going clockwise, the area is bounded by the Shillong-Guwahati highway on the East approaching Shangbangla, Pahamrioh, Nongpoh and Pahamsyiem. It goes along the Community Forest of Raid Nongpoh upto Umtasor Community Forests (point-3 in a amp at 25.811974 latitudes and 91.823244 longitudes) at about 19 kilometres.

SOUTH- The boundary continues from point-3 and runs clockwise along Nongmahir and Mawpyrhut, land of Nongbir Village, Nogsder Village, Sohjirang village and private land (point-4 in the map) at 25.l820473 latitudes and 91.732014 longitudes at a distance of about 13 kilometres.

WEST- The boundary continues from point-4 and goes through Ummar, Nongkhnrih to Lailad-Tasku (Point-1 in the map.- 25.951830 latitudes and 91.758509 longitudes) at a distance of 15 kilometres (approximate)

NORTH– From Lailad Village (point-1 in the map.- 25.951830 latitudes and 91.758509 longitudes), the boundary of the District Council tree plantation forms the boundary upto Umladoh village. From here the Lailad Umling forest road forms the boundary upto Umling Territorial Beat office (at point-2 25.964690

latitudes and 91.857807 longitudes). Map showing the boundary and land use pattern of the proposed Eco-sensitive Zone enclosed.

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Nongkhyllem Wildlife Sanctuary, Meghalaya together with its latitudes and longitude of extremes and extent.

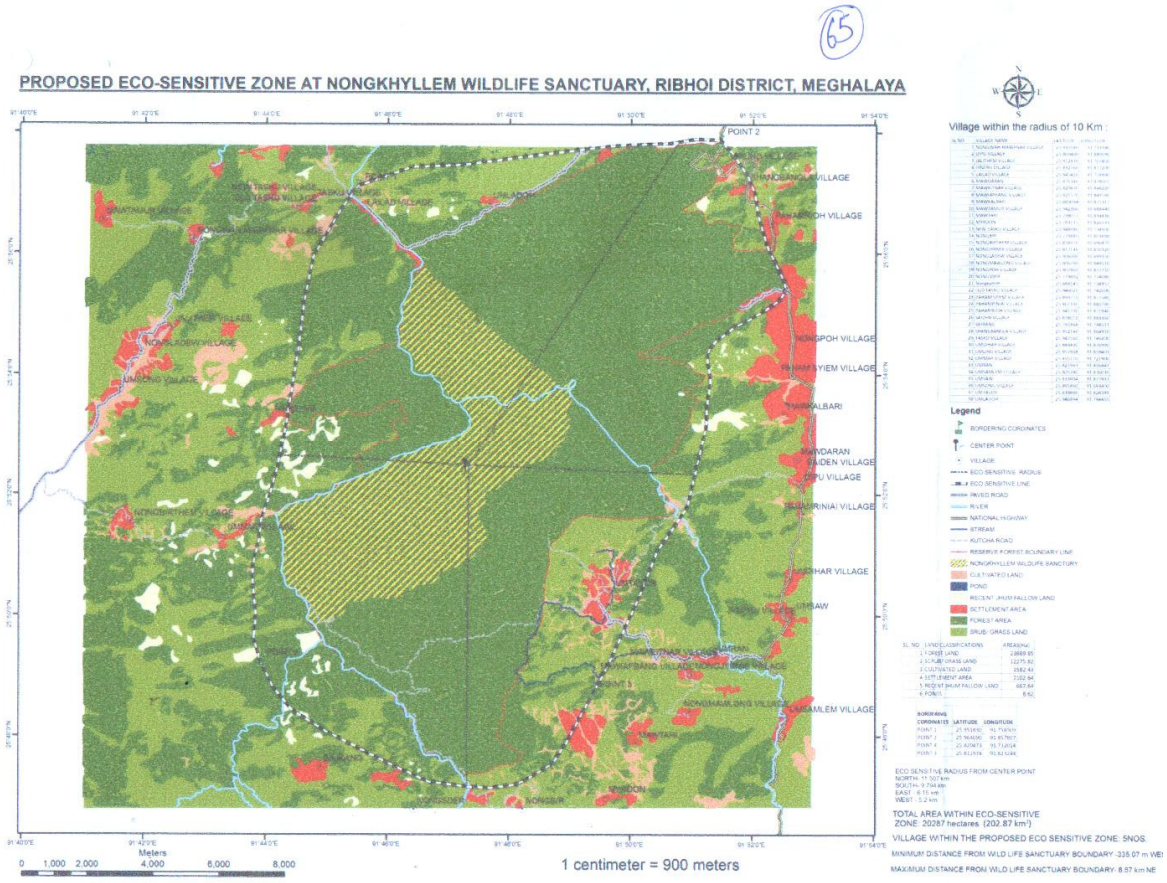

Annexure III

List of Villages falling within the Eco-sensitive Zone of Nongkhyllem Wildlife Sanctuary, Meghalaya

Sl.No.	Village Name	Longitude	Latitude
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nongwah Mawpnar	25.937080	91.173340
2.	Dipu	25.869400	91.880090
3.	Jalithem	25.912830	91.707450
4.	Jyntru	25.832560	91.877200
5.	Lailad	25.945420	91.759990
6.	Mawdaran	25.876346	91.879001
7.	Maweitnar	25.820970	91.848220
8.	Mawiapbang	25.821570	91.3849580
9.	Mawkalbari	25.889094	91.875317
10.	Mawtamur	25.942360	91.688440
11.	Mawtari	25.798017	91.834836
12.	Myrdon	25.783135	91.826533
13.	New Tasku	25.948980	91.734900

14.	Nongbir	25.779889	91.803888
15.	Nongbirthem	25.858970	91.696470
16.	Nongihyrmie	25.817140	91.850120
17.	Nongladew	25.906000	91.699150
18.	Nongmawlong	25.806790	91.849510
19.	Nongpoh	25.907860	91.877710
20.	Nongsder	25.779802	91.774080
21.	Nongkynrih	25.888145	91.734957
22.	Old Tasku	25.946020	91.742600
23.	Paham Syiem	25.899710	91.877580
24.	Pahamriniai	25.861330	91.880790
25.	Pahamrioh	25.941700	91.871940
26.	Saiden	25.878010	91.883360
27.	Sajrang	25.791468	91.748511
28.	Shangbangla	25.952140	91.864910
29.	Tasku	25.947560	91.746200
30.	Umdihar	25.843400	91.876990
31.	Umling	25.957908	91.859403
32.	Ummar	25.855110	91.721900
33.	Umran	25.821963	91.856443
34.	Umsamlem	25.805390	91.876030
35.	Umsaw	25.833804	91.877933
36.	Umsong	25.895860	91.693400
37.	Umtasor	25.839886	91.828389
38.	Umladoh	25.946994	91.794455

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report :- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.